REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2236]नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 2017/श्रावण 18, 1939No. 2236]NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 2017/SRAVANA 18, 1939

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2017

का.आ. 2552(अ).—आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडियों, लाभों एवं सेवाओं की लक्षित सुपुदर्गी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड-3-उपखण्ड (ii) में का.आ. सं. 754(अ) दिनांक 6 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत:—

उक्त अधिसूचना में:

- (क) अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (2) में, शब्द, अंक एवं पत्र "30 जून, 2017 तक" को शब्द, अंक एवं पत्र "30 सितंबर, 2017 तक" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ख) अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद (1) में, शब्द, अंक एवं पत्र "30 जून, 2017 तक" को शब्द, अंक एवं पत्र "30 सितंबर, 2017 तक" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. बीएच-11011/1/2016-बीएच]

समीर कुमार विश्वास, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3-उपखण्ड (ii) में का.आ. सं. 754(अ) दिनांक 6 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

4826 GI/2017

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2017

S.O. 2552(E).—In pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 754(E), dated the 6th March, 2017, namely :—

In the said notification, —

- (a) in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the words, figures and letters "by 30th June, 2017", the words, figures and letters "by 30th September, 2017" shall be substituted;
- (b) in paragraph 2, in sub-paragraph (1), for the words, figures and letters "by 30th June, 2017", the words, figures and letters "by 30th September, 2017" shall be substituted.

[F. No. BH-11011/1/2016-BH]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), *vide* number S.O. 754 (E), dated the 6th March, 2017.